

युवा प्रोफेशनल कार्यक्रम (वाईपीपी)

आईआरडीएआई अर्हताप्राप्त और प्रेरित युवा व्यक्तियों को आईआरडीएआई के अंदर महत्वपूर्ण पहलों पर कार्य करने तथा भारतीय बीमा क्षेत्र के नीति विश्लेषण और विकास में सहायता करने का एक विशिष्ट अवसर देना चाहता है। यह उन व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जो भारत में बीमा क्षेत्र के विकास में योगदान करना चाहते हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उक्त व्यक्ति वित्त और निवेश, विधि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों (डोमेन्स) में कार्य करेंगे। यह एक चयनात्मक कार्यक्रम है जिसके लिए व्यक्तियों को प्रमाणित शैक्षिक प्रत्यय-पत्र (क्रेडेन्शियल्स), व्यावसायिक उपलब्धि और नेतृत्व के गुण दर्शाने की आवश्यकता है।

2. पात्रता

2.1 इस कार्यक्रम के लिए विचार किये जाने के लिए, उम्मीदवार को आवश्यक रूप से नीचे निर्धारित किये गये रूप में पात्रता के मानदंड पूरे करने होंगे:

क. आयु और राष्ट्रीयता:

i. उम्मीदवार को अनिवार्यतः भारत का नागरिक होना चाहिए तथा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख. क्षेत्र-वार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और वांछनीय मानदंड:

क्षेत्र	पदों की संख्या	शैक्षिक अर्हता	वांछनीय मानदंड
युवा प्रोफेशनल (वित्त और निवेश)	10	न्यूनतम 55% समग्र अंकों अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय / संस्था से वित्त में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर योग्यता (उपाधि / 2 वर्षीय डिप्लोमा); अथवा सनदी लेखाकार (सीए) ¹ / कंपनी सचिव (सीएस) ² / लागत प्रबंध लेखाकार (सीएमए) ³ ;	स्नातकोत्तर उपाधि अथवा सीए / सीएस / सीएमए / सीएफए पूरी करने के बाद वित्तीय क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

		अथवा सीएफए संस्थान (यूएसए) से सनदी वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) पाठ्यक्रम के सभी 3 (तीन) स्तर सफलतापूर्वक पूरे किये हैं।	
युवा प्रोफेशनल (विधि)	10	न्यूनतम 55% समग्र अंकों अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय / संस्था से विधि में स्नातक उपाधि।	विधि / एलएलएम में स्नातक उपाधि पूरी करने के बाद बीमा क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
युवा प्रोफेशनल (प्रौद्योगिकी)	10	न्यूनतम 55% समग्र अंकों अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय / संस्था से निम्नलिखित कोई उपाधि: (i) इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स और संचार / सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान/ साफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक; अथवा (ii) एमसीए / एमएससी (आईटी) / एमएससी (कंप्यूटर विज्ञान) / एमबीए (प्रणालियाँ) / एमबीए (विश्लेषण- विज्ञान) / एम. टेक (कंप्यूटर विज्ञान / आईटी / सुसंगत स्ट्रीम) / एमएस (कंप्यूटर विज्ञान / आईटी / सुसंगत स्ट्रीम) अथवा समकक्ष उपाधि।	साफ्टवेयर विकास (प्रोग्रामिंग) अथवा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त अथवा ब्लॉकचेन, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धि (एआई), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, मशीनी शिक्षा, भविष्यसूचक विश्लेषण में प्रवीण उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। साफ्टवेयर विकास के लिए, वांछनीय कौशल सेट में शामिल हैं: जावा: स्प्रिंग / हाइबरनेट जैसे नवीनतम ढाँचे के साथ जेएसपी / जे2ईई के प्रोग्रामिंग में प्रवीणता- प्राप्त; अथवा ऍंगुलर: ऍंगुलर के प्रोग्रामिंग में प्रवीणता- प्राप्त; अथवा एसएपी-एबीएपी: एसएपी एबीएपी / वेब डिनप्रो के प्रोग्रामिंग में प्रवीणता- प्राप्त; अथवा

		<p>पाइथान: पाइथान के प्रोग्रामिंग में प्रवीणता-प्राप्त; अथवा</p> <p>बीपीएम: आईबीएम बीपीएम विकास में प्रवीणता-प्राप्त; अथवा</p> <p>डेटाबेस: डीबी2 / ओरेकल / पोस्टग्रेएसक्यूएल / माईएसक्यूएल आदि जैसे डेटाबेस में प्रवीणता-प्राप्त। साइबर सुरक्षा के लिए वांछनीय कौशल सेट में शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> -सूचना और साइबर सुरक्षा तथा सुरक्षा परिचालनों के क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का ज्ञान -साइबर आक्रमण होने की स्थिति में सुधारात्मक उपाय करना / विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करना। -साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास, कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना। -निम्नलिखित सुरक्षा उत्पादों में से किसी का संस्थापन / परिचालन: <ul style="list-style-type: none"> i. डेटा सुरक्षा [डेटा निःसरण निवारण (डीएलपी) / डेटाबेस सक्रियता निगरानी (डीएएम) आदि।] अथवा ii. नेटवर्क सुरक्षा [फायरवाल / अनधिकार
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>प्रवेश निवारण (आईपीएस) / प्राक्सी / वितरित सेवा का अस्वीकरण (डीडीओएस) आदि.]; अथवा</p> <p>iii. प्रणाली सुरक्षा [विशेष सुविधा प्राप्त पहचान प्रबंधन (पीआईएम) / एंटीवायरस / उन्नत निरंतर आशंका निरोधी (एपीटी) आदि]</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का सदस्य
- 2- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य
- 3- भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का सदस्य

ग. सभी उम्मीदवारों से प्रत्याशित है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) साधनों तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कौशल में निपुण हों एवं अच्छे विश्लेषणात्मक, संचार और अंतर-वैयक्तिक कौशल से युक्त हों।

3. कार्यक्रम की अवधि

3.1 युवा व्यवसायियों (वाईपी) की नियुक्ति की अवधि 1 (एक) वर्ष होगी, जो वाईपी के कार्यनिष्पादन और संस्थागत आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक 1 (एक) वर्ष के 2 दौरों के जरिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाई जा सकती है। वाईपी की नियुक्ति की कुल अवधि 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.2 उक्त कार्यक्रम आईआरडीएआई के प्रधान कार्यालय में अथवा आईआरडीएआई के किसी अन्य कार्यालय में दिया जाएगा।

4. आवेदन की प्रक्रिया और चयन की पद्धति

4.1 इच्छुक पात्र उम्मीदवार एक आनलाइन आवेदन निम्नलिखित लिंक के द्वारा प्रस्तुत करेंगे:

<https://ypp.irdai.gov.in/ypp>

4.2 उम्मीदवार ध्यान दें कि आईआरडीएआई वाईपीपी के लिए आवेदन करने हेतु यही एक पद्धति अनुमत है तथा किसी भी अन्य माध्यम/पद्धति के द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.3 आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 01.09.2023 को अपराह्न 5.00 बजे अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.4 एक अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति आवेदनों की संवीक्षा करेगी तथा वैयक्तिक साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए आवेदकों की चयनित सूची बनायेगी। चयनित सूची में सम्मिलित किये गये आवेदक वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए बुलाये जाएँगे तथा अनुवीक्षण समिति चयनित उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगी।

4.5 साक्षात्कार के समय सत्यापन के लिए उम्मीदवार की पात्रता और पहचान के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज मूल रूप में और उनकी स्वयं-साक्षात्कृत फोटोप्रतियाँ अनिवार्यतः प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी एवं इससे नियुक्ति की प्रक्रिया में आगे उसकी सहभागिता से उसकी उम्मीदवारी को रोक दिया जाएगा।

4.6 उनकी उम्मीदवारी के संबंध में आवेदन में घोषित सूचना तथा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत समर्थक दस्तावेजों के बल पर विचार किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आन-लाइन आवेदन में प्रस्तुत कोई सूचना झूठी / गलत है अथवा आईआरडीआई के अनुसार उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती, तो उसकी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त / समाप्त की जा सकेगी।

4.7 उक्त कार्यक्रम के लिए जो उम्मीदवार चुने जाते हैं, केवल उन्हीं को सूचित किया जाएगा।

4.8 अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. प्रदत्त सुविधाएँ

5.1 वार्डपी को रु.75,000/- (सब मिलाकर) का एक मासिक वृत्ति (स्टाइपेंड) अदा किया जाएगा। उक्त भुगतान करने से पहले आय कर अथवा देय किसी अन्य कर की कटौती लागू नियमों के अनुसार स्रोत पर की जाएगी। चयनित बाहरी उम्मीदवारों को उनके निवास के स्थान से परियोजना प्रारंभ करने के स्थान तक आने-जाने के लिए निकटतम मार्ग के द्वारा किफायती (इकानमी) हवाई भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इनके अतिरिक्त, कोई अन्य पारिश्रमिक अथवा भुगतान नहीं होगा।

5.2 आईआरडीआई वार्डपी को कार्यालय स्थान, इंटरनेट संबद्धता और अन्य सहायक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

5.3 वार्डपी का यह दायित्व होगा कि आवास के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था कर ले।

5.4 वार्डपी को यदि कार्यालयीन आवश्यकताओं से अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन घरेलू यात्रा करनी होगी, जिस स्थिति में वे ठहरने, भोजन-व्यवस्था और प्रासंगिक व्ययों के लिए सहायक प्रबंधक के ग्रेड में अधिकारियों के लिए अनुमति-योग्य सीमा तक पात्र होंगे।

5.5 वार्डपी की नियुक्ति की अवधि के दौरान उसकी मृत्यु, क्षति अथवा अस्वस्थता होने की स्थिति में, चाहे उक्त नियुक्ति के अंतर्गत उसके दायित्वों के निर्वहण के कारण हो, चाहे प्राधिकरण के किसी परिसर में अथवा आधिकारिक यात्रा के दौरान हो, न तो वार्डपी और न ही उसके आश्रित, विधिक उत्तराधिकारी, दावेदार, आदि आईआरडीआई में किसी क्षतिपूर्ति अथवा रोजगार के लिए पात्र होंगे।

6. परियोजना प्रदेय और समीक्षा

6.1 प्रदेशों (डेलिवरबल्स) का निर्णय कार्यक्रम देने के समय ही किया जाएगा।

6.2 आबंटित विभाग / टीम के पर्यवेक्षण अधिकारी के द्वारा परियोजना की निरंतर निगरानी की जाएगी, जो परियोजना के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

6.3 वाईपी के कार्यनिष्पादन का निरंतर मूल्यांकन होगा जो विभाग-प्रमुख (एचओडी) के द्वारा किया जाएगा।

6.4 वाईपी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन विभाग के प्रमुख (एचओडी) और परियोजना मार्गदर्शक के द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक महीने के अंत में किया जाएगा। वाईपी से प्रत्याशित होगा कि वह ऐसे मूल्यांकन के दौरान दिये गये सुझावों को अपने कार्यचालन में शामिल करे।

6.5 परियोजना समाप्त होने पर, वाईपी द्वारा परियोजना पर एक प्रस्तुतीकरण किया जाएगा तथा एक रिपोर्ट संबंधित विभाग-प्रमुखों (एचओडी) और एचआर विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। वाईपी को उनकी नियुक्ति के समापन पर उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आईआरडीएआई में उनकी नियुक्ति को सफलतापूर्वक पूरा करने का उल्लेख करते हुए एक पत्र दिया जाएगा।

7. आचरण संहिता

7.1 वाईपी नियुक्ति के प्रारंभ से पहले आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित की जानेवाली आचरण-संहिता से आबद्ध होंगे।

7.2 वाईपी से अपेक्षित है कि वे कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले निर्धारित फार्मेट में गुप्तता की एक घोषणा आईआरडीएआई को प्रस्तुत करेंगे।

7.3 आंतरिक डेटा जो वाईपी की नियुक्ति के दौरान उनके कब्जे में आ सकता है, गोपनीय है तथा वाईपी किसी भी प्रकार से उक्त आंतरिक डेटा का निजी तौर पर उपयोग नहीं करेंगे अथवा वह डेटा आईआरडीएआई के परिसर से बाहर नहीं ले जाएँगे।

7.4 वाईपी के लेनदेनों से संबंधित विवरणों अथवा धारित राशियों के विवरणों सहित, वाईपी की वित्तीय आस्तियों के संबंध में सूचना, जैसी कि उचित मानी जाएगी, माँगने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।

7.5 आईआरडीएआई उस समस्त बौद्धिक संपत्ति और अन्य स्वामित्व अधिकारों के लिए हकदार होगा, जिनमें शामिल हैं परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, उत्पादों, प्रक्रियाओं, आविष्कारों, विचारों, तकनीकी जानकारी अथवा प्रलेखों और अन्य सामग्री के संबंध में पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार (कापीराइट), ट्रेडमार्क, जो वाईपी अपनी नियुक्ति के भाग के रूप में विकसित करते हैं।

7.6 वाईपी आईआरडीएआई के नाम, पत्र-शीर्ष, प्रतीक अथवा कार्यालयीन मुहर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेंगे।

7.7 वाईपी आईआरडीएआई के पास अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई भी अन्य कार्य अथवा नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे।

7.8 वाईपी कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन होंगे।

7.9 वाईपी के लिए पुलिस द्वारा सत्यापन करवाने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है। ऐसे सत्यापन से कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त करने की स्थिति में वाईपी की नियुक्ति किसी नोटिस के बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी।

8. कार्यसमय और छुट्टी

8.1 वाईपी का कार्यसमय आईआरडीएआई में प्रचलित कार्यालय समय के समान ही होगा। प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय में लागू किये गये रूप में सार्वजनिक छुट्टियों का पालन करने की अनुमति वाईपी को होगी। वाईपी से कार्यालय समय के बाद अथवा सप्ताहांत अथवा सार्वजनिक छुट्टियों में कार्य करने की अपेक्षा की जा सकती है, जिसके लिए किसी अतिरिक्त स्टाइपेंड की अनुमति नहीं होगी।

8.2 वाईपी एक वर्ष में 12 दिन की छुट्टी के लिए पात्र होंगे। ये छुट्टियाँ पूरे किये गये महीने के आधार पर उपचित होंगी जिनका परिकलन आनुपातिक आधार पर कार्यग्रहण करने की तारीख से किया जाएगा। छुट्टी की किसी अवधि के दौरान बीच में आनेवाले सप्ताहांतों अथवा सार्वजनिक छुट्टियों की गणना उक्त 12 दिन की छुट्टी से नहीं की जाएगी। वाईपी के द्वारा उपयोग की गई अतिरिक्त छुट्टियों के लिए स्टाइपेंड में से कटौती की जाएगी। उपयोग न की गई छुट्टियाँ वर्ष के अंत में व्यपगत (लैप्स) हो जाएँगी।

9. आशोधन, निलंबन अथवा सेवासमाप्ति का अधिकार

9.1 सामान्य क्रम में, आईआरडीएआई एवं वाईपी अग्रिम रूप से एक महीने की नोटिस देकर उक्त नियुक्ति को समाप्त कर सकते हैं।

9.2 किसी विधिमान्य स्पष्टीकरण के बिना लगातार 8 दिन की अवधि (सप्ताहांतों अथवा सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) के लिए अनधिकृत अनुपस्थिति से उक्त नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

9.3 उपर्युक्त के बावजूद, आईआरडीएआई के पास कार्यक्रम की शर्तों में आशोधन करने, किसी भी वाईपी के संबंध में नियुक्ति को निलंबित अथवा समाप्त करने अथवा कोई कारण बताये बिना किसी भी समय उक्त कार्यक्रम को बंद करने का अधिकार सुरक्षित है।

10. अन्य शर्तें

10.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईआरडीएआई द्वारा नियुक्त वाईपी के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वाईपी आईआरडीएआई का अधिकारी अथवा कर्मचारी है। तदनुसार, इस नियुक्ति में निहित कोई भी बात आईआरडीएआई और वाईपी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का अथवा स्वामी और एजेंट का संबंध स्थापित नहीं करेगी।

10.2 वाईपीपी के अंतर्गत उनकी नियुक्ति के आधार पर आईआरडीएआई में नियोजन के लिए वाईपीपी का कोई अधिकार नहीं होगा।

10.3 वाईपी उक्त नियुक्ति के अंतर्गत दायित्वों के अपने कार्यनिष्पादन के संबंध में आईआरडीएआई से बाहर किसी भी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी से किन्हीं अनुदेशों की अपेक्षा नहीं करेंगे अथवा कोई भी अनुदेश स्वीकार नहीं करेंगे।

10.4 वाईपी सभी वर्तमान अथवा संभावित हितों के संघर्षों से बचेंगे तथा जब ऐसा कोई संघर्ष अपरिहार्य हो तब प्रारंभ में ही उसका प्रकटीकरण करेंगे।

10.5 आईआरडीएआई के विभिन्न विभागों की भूमिका और कार्य-पद्धति से परिचय प्राप्त करने के लिए वाईपीपी को अभिमुखता (ओरिएन्टेशन) कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा।

10.6 पात्रता, आवेदनों की छानबीन (स्क्रीनिंग), साक्षात्कार के संचालन, उम्मीदवारों के मूल्यांकन, रिक्तियों की संख्या तथा परिणाम की सूचना के संबंध में सभी मामलों में आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा। आईआरडीएआई के पास इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई कारण बताये बिना किसी भी पात्र उम्मीदवार का चयन करने अथवा उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। आईआरडीएआई के पास किसी भी कारण से विज्ञापन को पूर्णतः अथवा अंशतः निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

10.7 यहाँ समाविष्ट नहीं किये गये किसी भी अवशिष्ट विषय की शर्तों के संबंध में अध्यक्ष, आईआरडीएआई द्वारा निर्णय किया जाएगा।

(पी. एस. जगन्नाथम)
मुख्य महाप्रबंधक (सा.प्र. & मा.सं.)